भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1382

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चंडीगढ़ में कूड़ा डंप का निस्तारण

1382. श्री मनीश तिवारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक सेक्टर 38 पश्चिम चंडीगढ़ (दादू माजरा) में कूड़ा डंप को साफ करने के लिए कुल बजटीय व्यय माहवार कितना है;

(ख) 1 अप्रैल, 2019 में लेकर अब तक एयर फ्रेशनर, परफ्यूम और बदबू रोकने के उपायों की लागत सहित कूड़ा डंप के निस्तारण के लिए माहवार कुल बजटीय व्यय कितना है;

(ग) जनवरी, 2025 तक सेक्टर 38 पश्चिम चंडीगढ़ में कूड़ा डंप पर अभी भी पड़े पुराने कचरे की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) उक्त स्थान पर प्रतिदिन डाले जा रहे कूड़े की मात्रा कितनी है और वर्तमान में उक्त स्थान पर प्रबंधित किए जा रहे कूड़े की मासिक मात्रा कितनी है;

(ङ) क्या सरकार के पास उक्त कूड़ा डंप को पूरी तरह से साफ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो कूड़े का उक्त ढ़ेर खत्म होने की कब तक उम्मीद है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसे कूड़ा डंपों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): डंपसाइटों के शोधन सहित स्रोत पृथक्करण, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और नगरपालिका के ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के माध्यम से "कचरा मुक्त" बनाने के दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को एसबीएम - शहरी 2.0 मिशन शुरू किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित शहरी ठोस अपशिष्ट कार्य योजना के आधार पर अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि कचरा डंपसाइटों का शोधन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी)

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, कचरे से खाद बनाने वाले संयंत्र आदि की स्थापना के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय हिस्से की निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, जो आगे राज्य हिस्से को इसमें मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों को उनकी कार्ययोजना के अनुसार निधि संवितरित करते हैं।

इसलिए, पुरानी अपशिष्ट डंपसाइट के शोधन के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। हालाँकि, एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत पुरानी अपशिष्ट डंपसाइट के शोधन के लिए निधि जारी की जाती है। एसबीएम -यू 2.0 के तहत, चंडीगढ़ के लिए पुरानी अपशिष्ट डंपसाइट के शोधन के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 28.50 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 तक पुराने अपशिष्ट के पहले और दूसरे डंप को साफ कर दिया गया है और लगभग 2.40 एलएमटी मात्रा वाले तीसरे डंप का जैव-शोधन कार्य शुरू किया जा चुका है।

(ङ.) और (च) : संविधान की 7 वीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय है । देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, निष्पादित करना और संचालन करना राज्य/शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शेष पुराने अपशिष्ट का जैव-शोधन शुरू हो चुका है और मौसम की स्थिति के अधीन 31.07.2025 तक पूरा अपशिष्ट साफ कर दिया जाएगा ।

परियोजनाओं को समय पर और पर्यावरण के अनुकूल चलाने के लिए शहरों की सहायता करने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और निष्पादन के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति निर्देश, मैनुअल/मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) साझा करके वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए समय-समय पर पुराने अपशिष्ट के निपटान और लैंडफिल सुधार पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है। बोली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों के साथ मॉडल खरीद दस्तावेज भी साझा किए जा चुके हैं। शहरी स्थानीय निकाय/राज्य सरकार इन शोधन प्रौद्योगिकियों का चयन अपने अनुसार कर सकते है।

*****